**भारतसरकार**

**रक्षामंत्रालय  
रक्षाविभाग**

**राज्यसभा  
तारांकितप्रश्नसंख्या 364**

**02 अप्रैल, 2018 कोउत्तरकेलिए**

**प्रशिक्षणकेदौराननिःशक्तहुएप्रशिक्षुअधिकारियोंकापुनर्वास**

**\*364. श्रीप्रतापसिंहबाजवा :**

क्यारक्षामंत्रीयहबतानेकीकृपाकरेंगेकि :

**(क) देशमेंविगततीनवर्षोंऔरचालूवर्षकेदौरानविभिन्नसैन्यअकादमियोंमेंप्रशिक्षणकेदौराननिःशक्तहुएप्रशिक्षुअधिकारियोंकाब्यौराक्याहै ;**

**(ख) क्यासरकारभारतीयवायुसेनाअकादमी, हैदराबादमेंप्रशिक्षणकेदौराननिःशक्तहुएप्रशिक्षुअधिकारियोंसहित, ऐसेप्रशिक्षुअधिकारियोंकोउपयुक्तवैकल्पिकरोज़गारमेंलगाएजानेकीकोईयोजनाबनानेकाविचाररखतीहै ;**

**(ग) यदिहां, तोतत्संबंधीब्यौराक्याहैऔरप्रस्तावितयोजनाकबतककार्यान्वितकरदीजाएगीऔरयदिनहीं, तोइसकेक्याकारणहैं ;और**

**(घ) सरकारद्वारानिःशक्तप्रशिक्षुओंकेपुनर्वासहेतुउठाएगए/उठाएजारहेअन्यकदमोंकाब्यौराक्याहै?**

**उत्तर  
रक्षामंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**प्रशिक्षणकेदौराननिःशक्तहुएप्रशिक्षुअधिकारियोंकेपुनर्वासकेबारेमेंराज्यसभामेंदिनांक 02 अप्रैल, 2018 कोउत्तरदिएजानेकेलिएतारांकितप्रश्नसं. 364केभाग (क) से (घ) केउत्तरमेंउल्लिखितविवरण**

(क): विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निःशक्त/चिकित्सीय दृष्टि से अशक्त हुए और परिणामस्वरूप सेवा से बाहर किए गए प्रशिक्षु अफसरों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है:-

|  |  |
| --- | --- |
|  | प्रशिक्षु अफसर |
| भारतीय सेना | 29 |
| भारतीय नौसेना | 19 |
| भारतीय वायु सेना | 12 |

(ख) और (ग): चिकित्सा आधार पर सेवा से बाहर किए गए कैडेटों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.07.1984 के का.ज्ञा. सं. 14034/3/84-स्था.(घ) तथा दिनांक 04.06.1997 के संशोधित का.ज्ञा. के अनुसार रोजगार कार्यालयों/डीजीईएंडटी के मार्फत समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ पदों पर नियुक्ति हेतु प्राथमिकताI श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु प्रावधान मौजूद है । समूह ‘क’ तथा ‘ख’ के लिए ऐसा ही प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(घ): भारतीय सेना में ऐसे अफसरों को उनकी निःशक्तता की प्रतिशतता के अनुसार अनुग्रह राशि और निःशक्तता हितलाभ प्रदान किए जाते हैं ।

भारतीय वायुसेना में सेवा के निमित्त निःशक्तताओं के मामले में प्रशिक्षु कैडेट को मासिक अनुग्रह का भुगतान किया जाता है । प्रशिक्षु वायु सैनिकों तथा प्रशिक्षणाधीन अफसरों को यथालागू निःशक्तता पेंशन मुहैया कराई जाती है ।

भारतीय नौसेना में सेवा के निमित्त अथवा इसके फलस्वरूप हुई गंभीरता के कारणों से चिकित्सा आधार पर अशक्त अफसर निःशक्तता पेंशन के लिए पात्र होगा जिसमें सेवा अंश तथा निःशक्तता अंश शामिल है ।

सैन्य प्रशिक्षण के निमित्त अथवा इसके फलस्वरूप हुई गंभीरता के कारणों से चिकित्सा आधार पर अशक्त हुए कैडेट 9000 रु. प्रति मास की मासिक अनुग्रहराशि के भुगतान के लिए पात्र होंगे । निःशक्तता की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत निःशक्तता के लिए 16,200 रु. प्रति मास की दर से अनुग्रह निःशक्तता राशि का भुगतान किया जाएगा । यदि निःशक्तता 100 प्रतिशत से कम है तो अनुग्रह निःशक्तता राशि को आनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा ।

सेवा के निमित्त अथवा इसके फलस्वरूप हुई गंभीरता के कारणों से चिकित्सा आधार पर अशक्त हुए प्रशिक्षु नौसैनिक निःशक्तता पेंशन के लिए पात्र होंगे जिसमें सेवा अंश तथा निःशक्तता अंश शामिल है ।

चिकित्सा आधार पर अशक्त हुए सभी प्रशिक्षु नौसैनिकों को भूतपूर्व-सैनिक का दर्जा प्रदान किया जाता है । इसमें ईसीएचएस हेतु पात्रता तथा कैंटीन सुविधा शामिल है ।

\*\*\*\*\*\*\*